कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चन्दौली।

पत्रांक /कम्प्यूटर आपरेटर/आजीविका/ 2015 दिनांकः– 23/4/2015

डाटा इन्ट्री आपरेटर (कम्प्यूटर कर्मी) की आपूर्ति हेतु निविदा सूचना

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद चन्दौली में डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेण्ट यूनिट के लिए 2 व ब्लाक मिशन मैनेजमेण्ट यूनिट के लिए 1 डाटा इन्ट्री आपरेटर, कुल 3 डाटा इन्ट्री आपरेटर की आवश्यकता है, जिनकी अर्हताए तकनीकी एंव फाईनेन्शियल निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त डाटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती सेवा प्रदाता के माध्यम से की जानी है, तथा मानदेय का भुगतान आयुक्त ग्राम्य विकास के पत्र संख्या 1552/आजीविका/2013 दिनांक 19.12.2013 के अनुसार डाटा इन्ट्री आपरेटर को 15000.00 (पन्द्रह हजार मात्र) नियत मानदेय देय होगा। उक्त मानदेय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त अनुदान के अनुमन्य मदों के अन्तर्गत जिस कर्मी के लिए संविदा हेतु निविदा अमन्त्रित की गई है उसके अन्तर्गत ही भुगतान किया जायेगा।

अतः उक्त डाटा इन्ट्री आपरेटर की आपूर्ति हेतु सेवाप्रदाता संस्था/फर्म से मुहरबन्द निविदा दिनांक 13.05.2015 के अपरान्ह 3:00 बजे तक प्राप्त की जायेगी जो उसी दिन सेवा प्रदाता संस्था/फर्म के प्रतिनिधि की उपस्थिति में अपरान्ह 4:00 बजे खोली जायेगी। निर्धारित शर्तें, योग्यता एवं अर्हतायें पूर्ण करने वाली संस्थाओं की हस्ताक्षर युक्त निविदा मान्य होगी। निविदा के साथ आवश्यक दस्ताबेज/ प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदा स्वीकृति के उपरान्त 100/– रू0 के स्टाम्प पेपर पर विभाग के साथ अनुबन्ध करना होगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा समस्त निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य विकास अधिकारी में निहित होगा।

1.सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से भरे जाने हेतु नियम व शर्तें निम्न हैः–

1.सेवा प्रदाता संस्था/फर्म को सोसायिटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ई0पी0एफ0 ई0एस0आई0 एक्ट, सर्विस टैक्स एवं आयकर के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

2.एफ0सी0आर0ए0 और 12 ए0 में पंजीकरण अविनार्य है।

3.संस्था कम से कम 3 वर्ष पुरानी होनी चाहिए तथा संस्था का विगत 3 वर्षों में वित्तीय टर्नओवर औसत 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। साक्ष्य में विगत 3 वर्षे की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4.संस्था की नियमावली में कर्मिकों की आपूर्ति का उल्लेख होना चाहिए।

5.संस्था आई0एस0ओ0 सार्टिफाइड होना चाहिए।

6.संस्था के पास कम से कम 2 शासकीय विभाग/प्रोजेक्ट, स्वायत्तशासी संस्थाओं/वाहय शासित अनुदानित परियोजना में कर्मियों की आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए।

7.समस्त कर क्लीयरेन्स होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। समस्त करों, बीमा इत्यादि का भुगतान कान्ट्रेक्टर के द्वारा किया जायेगा। अतः संस्था की जो दरें स्वीकृत होंगी वह कान्ट्रेक्ट अवधि तक के लिए फिक्स होंगी। दरों में बीच में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा जो भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है यदि बीच में दरें संशोधित की जायेंगी वही मान्य होंगी।

8.एक निविदा दाता द्वारा केवल 1 सेट मे तकनीकी एंव फाईनेन्शियल निविदा अलग–अलग डाली जायेगी जो अलग–अलग शीलबन्द लिफाफे में होगी। पहले तकनीकी निविदा पर विचार किया जायेगा उसके उपरान्त ही फाईनेन्शियल निविदा पर विचार किया जायेगा। लिफाफे पर निविदा दाता संस्था/फर्म का पूरा नाम, पता, मोबाईल/दूरभाष नम्बर, किस लिए निविदा डाली गई है अंकित होना चाहिए।

9.यदि निविदा डाक/कोरियर के द्वारी भेजी अथवा जमा की जाती है तो निविदा डाले जाने की निर्धारित तिथि व समय तक निविदा के प्राप्त न होने पर निविदा दाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

10.निविदा में कोई भी त्रुटि सुधार/ ओवर राइटिंग तभी मान्य होगी जब निविदा दाता अथवा उसके लिए अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर हो।

11.बिल से टी0डी0एस0 की अनुमन्य कटौती काट कर भुगतान किया जायेगा।

क्रमशः 2

12.निविदा 90 दिन अथवा निर्धारित तिथि तक के लिए मान्य होगी।

13.यह लिखित देना होगा कि अनुबन्ध के निष्पादन, निर्णय के अनुपालन, कर्मी की आपूर्ति, तकनीकि/वित्तीय प्रबन्धन हेतु कौन जिम्मेदार है तथा किसके द्वारा निविदा की न्यूनतम बोली जमा की जायेगी।

14.एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबन्ध किया जायेगा। आवश्यकता एवं संस्था के परफार्मेन्स के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों के लिए अनुबन्ध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

2.बिड की धनराशिः–

1.निविदा फार्म का मूल्य 500 रू0 एवं अर्नेस्ट मनी मु0 15000.00 रू0 है। निविदा फार्म नगद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट/पेआर्डर के द्वारा भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। अर्नेस्ट मनी उपायुक्त स्वतः रोजगार चन्दौली के पक्ष में चन्दौली में देय डिमान्ड ड्राफ्ट/पेआर्डर के द्वारा ही स्वीकार होगी।

2.निविदा स्वीकृति की स्थिति में जमानत धनराशि बन्धक स्वरूप कान्ट्रेक्ट अवधि तक जमा रहेगी। कान्ट्रेक्ट समाप्ति के उपरान्त जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3.जिनकी निविदा स्वीकार नहीं होगी उनकी जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

4.निविदा की बैधता तक निविदा दाता द्वारा अपनी निविदा वापस लिए जाने, असहमति व्यक्त किये जाने, अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के पश्चात कार्य सन्तोषजनक न किये जाने की स्थिति में जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

अर्हतायें, कर्मी की योग्यता, उसके कर्तव्य एवं अनुभव तथा अनुबन्ध की अन्य शर्तों के बारे में जानकारी व अन्य विवरण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के विकास भवन बिछिया स्थित कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। विस्तृत विवरण हेतु ~~nic.chandauli.in~~ की बेवसाइट का अवलोकन करें।

www.chandauli.nic.in

24/4/15

(योगेन्द्र कुमार पाठक)
उपायुक्त स्वतः रोजगार,
चन्दौली।

पत्रांक 355 /उक्त दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

1.मिशन निदेशक यूपीएसआरएलएम लखनऊ।
2.मुख्य विकास अधिकारी ,महोद्य को अवलोकनार्थ।
3.जिला विकास अधिकारी ,महोद्य को अवलोकनार्थ।
4.मुख्य कोषाधिकारी चन्दौली।
5.परियोजना निदेशक डीआरडीए चन्दौली।
6.जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी जनपद चन्दौली को एनआईसी की बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
7.जिला सूचना अधिकारी ,जनपद चन्दौली।
8.समस्त खण्ड विकास अधिकारी,जनपद चन्दौली।
9.नाजिर कलेक्ट्रेट/विकास चन्दौली।
10.सम्पादक दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान को शासकीय दर पर प्रकाशनार्थ।
11.सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।

24/4/15

उपायुक्त स्वतः रोजगार,
चन्दौली।